20/08/2018 एड सिणधरी

प्रपत्र:—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:— अटल सेवा केन्द्र, एड सिणधरी)

प्रकरण सं.:— 135/2018

क्रमांक:—लो.अदा./2018/1749

दिनांक:—20.6.2018

आदेश

वादी श्री दीपाराम पुत्र ऊदाराम जाति जाट निवासी आडेल तहसील सिणधरी हाल निवासी धेवड़ा तहसील तिवंरी जिला जोधपुर की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामदेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 162 रकबा 122—04 बीघा एवं ग्राम खारडी बेरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 227,228,249,249/2 कुल रकबा 30—04 बीघा भूमि मेरे पिता ऊदाराम की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। मेरे पिता के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण में धेरलू बोलाचल भाषा में मेरा नाम नथूराम दर्ज कर दिया गया। जबकि मेरा वास्तविक नाम नथूराम न होकर दीपाराम है। अतः वादग्रस्त भूमि में नथूराम के स्थान पर दीपाराम दर्ज किया जावें।

वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के वादपत्र की जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। वादी एवं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार श्री पाबुराम,जूंजाराम,रूपाराम पिसरान तुलछाराम,रावताराम पुत्र पुरखाराम,जोराराम पुत्र कुभांराम के संयुक्त बयानात कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये।

तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है,वादी के पिता दादा मूल रूप से ग्राम आडेल के निवासी है,वादी के पिता रेलवे में कार्मिक होने से जोधपुर जिलें के तिवंरी तहसील में वर्तमान में निवास कर रहे है। तिवंरी तहसील में भी वादी की कृषि भूमि अवस्थित है। वादी की वर्तमान जमाबंदी ग्राम रामदेवपुरा के खाता संख्या 15 एवं ग्राम खारडी बेरी के खाता संख्या 25 में वादी का नाम नथूराम पुत्र ऊदाराम दर्ज है,यह नाम अशुद्व है।वादी के नाम जारी अन्य सरकारी दस्तावेज यथा—वोटर कार्ड,आधारकार्ड,राशन कार्ड,बैक पासबुक एवं तिवंरी तहसील के ग्राम धेवडा के खाता संख्या 83 की जमाबंदी में वादी का नाम दीपाराम पुत्र ऊदाराम दर्ज है।एवं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार श्री पाबुराम,जूंजाराम,रूपाराम पिसरान तुलछाराम,रावताराम पुत्र पुरखाराम,जोराराम पुत्र कुभांराम ने संयुक्त बयानों में स्वीकार किया है,कि वादी उनका काकाई भाई है और वादी का वादग्रस्त भूमि गलत नाम नथूराम दर्ज हो रखा है। जबकि वास्तविक नाम दीपाराम है और दीपाराम नाम वादग्रस्त भूमि में शुद्व किया जाता है,तो हम सहमत है। एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी समग्र जांच रिर्पोट में वादग्रस्त भूमि में नथूराम के स्थान पर दीपाराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम रामदेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 162 रकबा 122—04 बीघा एवं ग्राम खारडी बेरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 227,228,249,249/2 कुल रकबा 30—04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि **नथूराम पुत्र उदा** के स्थान पर **नथूराम उर्फ दीपाराम पुत्र उदाराम** दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी
दिनांक:—20.6.18

क्रमांक:—लो.अदा./2018/1750-52

प्रतिलिपि:—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **नथूराम उर्फ दीपाराम पुत्र उदाराम** निवासी आडेल हाल निवासी धेवड़ा तहसील तिवंरी जिला जोधपुर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner